(क) और (ख) जवाहर योजना के अन्तर्गत 20% निधियां दस लाख कुओं की योजना के लिए निर्धारित की गई हैं जिसमें खुले सिंचाई कुओं, सिंचाई तालाबों, जल एकत्रीकरण ढांचों आदि जैसी लघु सिंचाई योजनाओं की व्यवस्था करना और साथ ही अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और मुक्त बंधुओं मजदूरों की भूमि का विकास करना शामिल है। 1990-91 और 1991-92 के दौरान गुजरात राज्य में दस लाख कुंओं की योजना के कार्यान्वयन हेतु रिलीज की गई राशि और सूचित खर्च नीचे दर्शाया गया है:—

(लाख रुपये में)

वर्ष	रिलीज की गई राशि	खर्च की गई राशि
1990-91	1618.14	807.95
1991-92	1109.48	1964.66

(ग) व (घ) दस लाख कुंओं की योजना के अन्तर्गत गुजरात में 1990-91 में 3331 और 1991-92 में 6364 कुंओं का निर्माण किया गया था। दस लाख कुंओं की योजना के अंतर्गत निर्मित कुंओं की संख्या के बारे में जिलावार सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है। 1990-91 और 1991-92 के दौरान दस लाख कुओं की योजना पर किए गए जिलावार खर्च को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1990-91 और 1991-92 के दौरान दस लाख कुओं की योजना पर किया गया जिला-वार खर्च

(लाख रुपये में)

जिले का नाम	1990-91	1991-92
1.अहमदाबाद	35.67	54.18
2. अमरेली	6.93	8.91
3. बनासकांठा	37.76	74.60
4. भड़ौच	23.50	84.56
5. भावनगर	13.30	21.51
6. डांग	8.46	35.97
7. गांधी नगर	—	7.64
8. जामनगर	11.80	17.00
9. जूनागढ़	33.10	91.29
10. कच्छ	8.74	101.96
11. खेड़ा	37.68	58.93
12. मेहसाना	—	**
13. पंचमहल	211.02	581.94
14. राजकोट	20.52	42.09
15. सबरकंटा	71.96	58.40
16.सूरत	42.54	136.26
17. सुरेन्द्र नगर	10.33	25.16
18. बड़ोदरा	45.67	152.46
19. बलसाड़	189.97	411.80
योग:	807.95	1964.66

**उपलब्ध नहीं है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों को आबंटित भूमि का कब्जा

2800. **श्री राम सिंह राठवा:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों को उन्हें आवंटित की गई भूमि का कब्जा नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब्जा न देने के राज्यवार मामले कितने-कितने है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने उन्हें कब्जा देने के लिए क्या प्रयास किए है तथा इस संबंध में राज्य सरकारों को क्या निदेश जारी किए गए है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी): (क) और (ख) राज्य सरकारें यह सूचित करती रही हैं कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आवंटित भूमि का कब्जा उनको दिया जा रहा है।

(ग) भूमि राज्य का विषय होने के कारण केन्द्र

सरकार की केवल परामर्शी व समन्वयकारी भूमिका है। तथापि, राज्य सरकार से समय-समय पर मुख्य मंत्रियों और राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन सहित विभिन्न मंचों के माध्यम से आवंटित भूमि के वास्तविक कब्जे दिलाने को सुनिश्चित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किए गए मितव्ययता संबंधी उपाय

2801. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय द्वारा खर्चा कम करने के लिए किए गए मितव्ययता संबंधी उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन उपायों को अपना कर अब तक कितनी धनराशि की बचत की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अनेक मितव्ययता के उपाय किए गए हैं। तथापि, इन उपायों के अपनाए जाने मे अभी तक बचत की गई वास्तविक राशि का निर्धारण करना संभव नहीं है। खर्च में कटौती के लिये मंत्रालय में उठाए गए कुछ मुख्य कदम इस प्रकार हैं।

(1) 18 पदों को पहले ही समाप्त किया जा चुका है तथा 11 और पदों को उचित समय में समाप्त/पदावनत किया जाएगा। अनुमानित बचत प्रति वर्ष 18.25 लाख रुपये होगी।

(2) 21 टेलिफोन हटवा दिए गए हैं इससे 5000 रुपये प्रति टेलिफोन की औसत दर से प्रतिवर्ष 1,05,000 रुपये की बचत होने की संभावना है।

(3) गत वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष के लिये यात्रा खर्च के अंतर्गत बजट प्रावधान को लगभग, 8.00 लाख रुपये कम किया गया है।

(4) समयोपरि भत्ते की दरों में वृद्धि के बावजूद समयोपरि भत्ते पर होने वाले खर्च को गत वर्ष के स्तर पर बनाए रखा जा रहा है ।

(5) अतिरिक्त महंगाई भत्ते पर होने वाले खर्चे को विद्यमान बजट प्रावधान में से ही वहन किया जा रहा है।

Inadequate Food Grain Supply under Food for Work Programme

2802. SHRI V. NARAYANASWAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item which appeared in the Indian Express dated the 6th October, 1992 under the caption "food security for rural poor pruned";

(b) if so, whether it is a fact that the foodgrains supply under the Food for Work Programme has been reduced to the minimum; and

(c) if so, what steps Government are taking to increase the supply of food grains to the rural poor under the scheme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The distribution of food grains under Jawahar Rozgar Yojana (JRY) was made optional during 1989-90 and this had resulted in the reduction of off-take. Food grains utilised under JRY during the last 3 years is as under:—

Year	Food grains Utilised (In MTs)
1989-90	469812
1990-91	126298
1991-92	31200

However, from the year 1992-93, it has been decided that the foodgrains should invariably be given as part of wages under JRY in view of its sustained benefits to the rural poor and there should not be any option in this regard So, foodgrains are now required to be distributed to the workers engaged under the Yojana at the rate of 2 kgs. per manday. Accordingly, a total quantity of twelve lakhs MTs of foodgrains have been allocated to different State/UTs during the current, year for distribution under JRY.